



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02052023-245597
CG-DL-E-02052023-245597

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 268]
No. 268]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 2, 2023/वैशाख 12, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 2, 2023/VAISAKHA 12, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2023

सा.का.नि. 338(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केंद्र सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रयुक्त तेल के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) हेतु विनियम लाने के लिए जारी करने का प्रस्ताव करती है, को पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के तहत यथापेक्षित इससे संभावित तौर पर प्रभावित होने वाले लोगों और अन्य हितधारकों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त अधिसूचना पर केंद्र सरकार द्वारा उस तारीख से साठ दिनों की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा, जिस दिन भारत के राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी;

प्रारूप अधिसूचना में निहित प्रस्तावों पर कोई आपत्ति या सुझाव देने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति उसे सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को डाक के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईमेल पते: mishra.vp@gov.in या vinodsingh.77@gov.in पर निर्दिष्ट अवधि के भीतर लिखित रूप में संपर्क कर सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

तेजी से बदलती दुनिया में आज सबसे बड़ी चिंता प्रदूषण और संसाधनों की कमी है। प्रयुक्त तेल का एक लीटर एक मिलियन लीटर ताजे पानी को दूषित कर सकता है – जिससे 50 लोगों के लिए एक वर्ष की जलापूर्ति हो सकती है, क्योंकि इसमें गंदगी, धातु के हिस्सों और पानी जैसी अशुद्धियों के अलावा बेंजीन, सीसा, जस्ता और कैडमियम जैसे जहरीले पदार्थ होते हैं।

और, विश्व स्तर पर, पृथ्वी से निष्कर्षण के बाद तेल की बड़े पैमाने पर खपत, प्रसंस्करण, निर्माण, परिवहन और निपटान, ग्रीनहाउस गैसों को वातावरण में छोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान देती है जिससे प्रदूषण बढ़ता है।

और, इस चिंता को कम करने के लिए, प्रयुक्त तेल के क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी की अवधारणा ने पिछले दो दशकों में गति प्राप्त की है, जिसमें हम न केवल स्नेहक (लुब्रिकेंट) के विनिर्माण के लिए इस्तेमाल किए गए तेल से प्राप्त पुनः परिष्कृत (रि-रिफाईंड) तेल का उपयोग करते हैं, बल्कि सुरक्षित और स्वस्थ कल के लिए बहुमूल्य पेट्रोलियम भंडार का संरक्षण भी करते हैं।

और, पुनः चक्रीकरण में निष्कर्षण और निर्माण प्रक्रियाओं में जलने वाले जीवाश्म ईंधन की मात्रा को कम करके वैश्विक जलवायु परिवर्तन की दर को कम करने की क्षमता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र में कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने में मदद करता है।

और, इस्तेमाल किए गए लुब्रिकेंट को फिर से परिष्कृत (रिफाइन) करने से पर्यावरणीय और आर्थिक दोनों तरह के फायदे हो सकते हैं। बेस ऑयल के निर्माण के लिए प्रयुक्त तेल को फिर से पुनः परिष्कृत करने से ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने वाले तेल के पुनर्संसाधन की तुलना में अधिक ऊर्जा की बचत होती है। प्रयुक्त तेल से पुनः परिष्कृत बेस ऑयल के निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा वर्जिन बेस ऑयल के उत्पादन के लिए कच्चे तेल को रिफाइन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का केवल एक-तिहाई है। इसलिए, संसाधनों के संरक्षण के साथ-साथ कचरे को कम करने और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के मामले में कई लोगों द्वारा पुनः परिष्कृत को पसंदीदा विकल्प माना जाता है।

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, समय-समय पर यथासंशोधित, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप नियम (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 के तहत प्रयुक्त तेल के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को अधिसूचित करती है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इन नियमों को परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) संशोधन नियम, 2023 कहा जाएगा है।

(2) वे 1 अप्रैल, 2024 से प्रवृत्त होंगे।

2. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 (इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में संदर्भित) में, नियम 9 में, उप-नियम (4) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(5) प्रयुक्त तेल का उपयोग और प्रबंधन अनुसूची X में निहित प्रावधानों के अनुसार होगा।"

3. उक्त नियमों में, अनुसूची IX के बाद, निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

'अनुसूची X

[नियम 9 (5) देखें]

प्रयुक्त तेल के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर)।

1. परिभाषाएँ. - इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए, -

(क) 'अधिनियम' का अर्थ है पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29);

(ख) 'बेस ऑयल' का अर्थ है परिष्कृत स्नेहन (लुब्रिकेशन) तेल के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाने वाला तेल;

(ग) 'बड़े उत्पादक' का अर्थ ऑटोमोबाइल उद्योग, रेलवे, रक्षा प्रतिष्ठानों, परिवहन कंपनियों, औद्योगिक इकाइयों, बिजली पारेषण कंपनियों आदि जैसी कोई भी इकाई है जो प्रति वर्ष 100 मीट्रिक टन से अधिक प्रयुक्त तेल का उत्पादन कर रही है;

(घ) 'व्यवसाय' का अर्थ बेस ऑयल या लुब्रिकेशन ऑयल के उत्पादन या निर्माण या बिक्री, बेस ऑयल के आयात, प्रयुक्त तेल के पुनः चक्रीकरण की कोई गतिविधि है;

(ङ.) 'संग्रह स्थल' का अर्थ उन क्षेत्रों और केन्द्रों से है जहां अधिकृत संग्रह अभिकर्ता प्रयुक्त तेल एकत्र करेगा;

(च) 'संग्रह अभिकर्ता' का अर्थ किसी भी व्यक्ति या संस्था से है, जिसने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है और प्रयुक्त तेल को एकत्र करता है और पंजीकृत पुनर्चक्रक को इसकी आपूर्ति करता है;

(छ) प्रयुक्त तेल का 'पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल प्रबंधन' का अर्थ है सभी आवश्यक कदम उठाना ताकि सुनिश्चित हो सके कि प्रयुक्त तेल का प्रबंधन इस तरह से किया जाए कि स्वास्थ्य और पर्यावरण को ऐसे किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से बचाया जा सके जो निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए प्रयुक्त तेल के संग्रह, परिवहन और पुनः चक्रीकरण के दौरान हो सकते हैं;

(ज) 'विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व का अर्थ प्रयुक्त तेल के पर्यावरण के अनुरूप प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए केवल पंजीकृत पुनर्चक्रकों के माध्यम से ही पुनः चक्रीकरण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए' इस अनुसूची के अनुच्छेद 3 के उप-अनुच्छेद (2) के प्रावधानों के अनुसार बेस ऑयल या लुब्रिकेशन तेल के किसी भी उत्पादक या प्रयुक्त तेल के आयातक के उत्तरदायित्व से है;

(झ) 'मार्गदर्शक सिद्धांत' का अर्थ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है जिसमें प्रयुक्त तेल के हथालन, संग्रह, परिवहन, भंडारण और पुनः चक्रीकरण सहित प्रयुक्त तेल के पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन के लिए, न्यूनतम आवश्यकता का विवरण दिया गया है;

(ञ) 'पोर्टल' का अर्थ इस अनुसूची के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित ऑनलाइन प्रणाली से है;

(ट) 'उत्पादक' का अर्थ किसी व्यक्ति या इकाई से है जो-

- i. अपने स्वयं के ब्रांड के तहत घरेलू स्तर पर बेस ऑयल या लुब्रिकेशन तेल का निर्माण और बिक्री की पेशकश करता है ; या
- ii. अन्य निर्माताओं या आपूर्तिकर्ताओं द्वारा निर्मित बेस ऑयल का उपयोग करते हुए, अपने स्वयं के ब्रांड के तहत घरेलू स्तर पर लुब्रिकेशन तेल बेचने की पेशकश करता है ; या
- iii. घरेलू स्तर पर आयातित बेस ऑयल या लुब्रिकेशन तेल बेचने की पेशकश करता है ; या प्रयुक्त की गई बिक्री तकनीक की अपेक्षा बिना किया जैसे कि डीलर, रिटेलर, ई-रिटेलर, ;

(ठ) 'पुनः चक्रीकरण' का अर्थ पर्यावरण के अनुकूल तरीके से बेस तेल या लुब्रिकेशन तेल का उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त तेल के पुनर्शोधन की प्रक्रिया और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) या दिशानिर्देशों में दिए अनुसार केन्द्रों का होना है।

(ड) 'पुनः परिष्कृत' का अर्थ प्रयुक्त तेल से अवांछित अशुद्धियों को हटाने और अंतिम उत्पाद बेस ऑयल या लुब्रिकेशन तेल बनाने की किसी प्रक्रिया से है।

(ढ) 'पुनः चक्रणकर्ता' का अर्थ प्रयुक्त तेल के पुनः चक्रीकरण की प्रक्रिया में लगे किसी व्यक्ति या संस्था से है;

(ण) 'पुनःचक्रीकरण लक्ष्य' का अर्थ इस अनुसूची के अनुच्छेद 3 के उप-अनुच्छेद (2) के प्रावधानों के अनुसार पुनर्चक्रित किए जाने वाले प्रयुक्त तेल की मात्रा से है;

(त) 'मानक संचालन प्रक्रिया' का अर्थ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपकरण और प्रक्रियाओं की न्यूनतम आवश्यकता को विस्तार से बताने वाले निर्दिष्ट दस्तावेज से है;

(थ) 'प्रयुक्त तेल' का अर्थ खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 के नियम 3 के उप-नियम (36) के तहत यथा परिभाषित किसी तेल से है;

(द) 'प्रयुक्त तेल के आयातक' का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था से है जो प्रयुक्त तेल का आयात करता है।

2. पंजीकरण. - (1) निम्नलिखित इकाइयां पोर्टल पर पंजीकृत होंगी।

- (क) उत्पादक
- (ख) संग्रह अभिकर्ता
- (ग) 'पुनः चक्रणकर्ता'
- (घ) प्रयुक्त तेल आयातक

(2) यदि कोई इकाई उप-अनुच्छेद (1) के तहत एक से अधिक श्रेणियों में आती है, तो उक्त इकाई उन श्रेणियों के तहत अलग से पंजीकृत होगी।

(3) उपर्युक्त उप-अनुच्छेद (1) में संदर्भित कोई भी संस्था पंजीकरण के बिना व्यवसाय नहीं करेगी।

- (4) उप-अनुच्छेद (1) के तहत पंजीकृत इकाइयां पोर्टल पर पंजीकृत नहीं होने वाली किसी भी इकाई के साथ कार्य-व्यापार नहीं करेंगी।
- (5) जहां कोई पंजीकृत संस्था पंजीकरण के लिए या विवरण या रिपोर्ट या जानकारी जिसे इस अनुसूची के तहत प्रदान करना या प्रस्तुत करना आवश्यक है, के संबंध में गलत सूचना देती है या सूचना जानबूझकर छुपाती है या किसी भी अनियमितता के मामले में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ऐसी इकाई का पंजीकरण सुनवाई का अवसर देने के बाद पांच वर्ष तक की अवधि के लिए रद्द किया जा सकता है और इसके अलावा, ऐसे मामलों में अनुच्छेद 15 के अनुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क भी लगाया जा सकता है।
- (6) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस अनुसूची के तहत पंजीकरण की मांग करने वाली इकाइयों से इस तरह के पंजीकरण शुल्क और वार्षिक अनुरक्षण शुल्क ले सकता है, जो उनके द्वारा यथानिर्धारित उत्पादित या पुनर्चक्रित या उनके द्वारा संभाले गए प्रयुक्त तेल की मात्रा के आधार पर हो सकता है।

3. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व व्यवस्था की पद्धतियां. -

- (1) ईपीआर विनियम प्राथमिकता के क्रम में प्रयुक्त तेल के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित तरीकों को शामिल करता है :

- (i) पुनः परिष्कृत बेस तेल या लुब्रिकेशन तेल का उत्पादन
(ii) ऊर्जा की पुनःप्राप्ति

(2) ईपीआर लक्ष्य:-

- (I) सभी उत्पादक और प्रयुक्त तेल के आयातक अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्वों को निम्नानुसार पूरा करेंगे:

(क) बेस ऑयल या लुब्रिकेशन तेल के उत्पादकों के लिए

क्र.सं.	वर्ष	प्रयुक्त तेल पुनः चक्रीकरण लक्ष्य
(i)	वर्ष 2024-25 के ईपीआर दायित्व (वह वर्ष जिसमें ये नियम प्रवृत्त होते हैं)	वर्ष 2022-23 में बेचे या आयात किए गए बेस ऑयल या लुब्रिकेशन तेल का 10%।
(ii)	वर्ष 2025-26 के ईपीआर दायित्व	वर्ष 2023-24 में बेचे या आयात किए गए बेस ऑयल या लुब्रिकेशन तेल का 20%।
(iii)	वर्ष 2026-27 का ईपीआर दायित्व	वर्ष 2024-25 में बेचे या आयात किए गए बेस ऑयल या लुब्रिकेशन तेल का 30%
(iv)	वर्ष 2027-28 का ईपीआर दायित्व	वर्ष 2025-26 में बेचे या आयात किए गए बेस ऑयल या लुब्रिकेशन तेल का 40%
(v)	वर्ष 2028-29 का ईपीआर दायित्व	वर्ष 2026-27 में बेचे या आयात किए गए बेस ऑयल या लुब्रिकेशन तेल का 50%
(vi)	वर्ष 2029-30 (Y) के बाद के संग्रह और पुनः चक्रीकरण लक्ष्य का ईपीआर वर्ष (Y-2) में बेचे या आयात किए गए बेस ऑयल या लुब्रिकेशन तेल का 60% होगा।	
(vii)	1 अप्रैल 2024 के बाद स्थापित ईकाइयों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, वित्तीय वर्ष, जिसमें ईकाई स्थापित की गई थी, के अंत से दो वर्षों की समाप्ति पर शुरू होगा और उपर्युक्त निर्धारित लक्ष्य के अनुसार होगा।	

(ख) प्रयुक्त तेल आयातकों के लिए

- (i) वर्ष (Y) में प्रयुक्त तेल आयातकों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तर दायित्व संबंधी बाध्यता वर्ष (Y-1) में आयातित प्रयुक्त तेल का 100% होगा।
- (ii) केवल पुनः परिष्कृत उद्देश्य के लिए प्रयुक्त तेल के आयात की अनुमति है।

- (II) उत्पादकों का विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी लक्ष्य बेस ऑयल के परिचालन हानि के कारण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित कारक के आधार पर कम किया जाएगा।
- (III) (i) उत्पादक केवल पंजीकृत पुनः चक्रणकर्ता से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों की ऑनलाइन खरीद के माध्यम से अपनी विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी पूरी करेंगे।
- (ii) उत्पादकों और पंजीकृत पुनः चक्रणकर्ता द्वारा प्रदान किए गए विवरणों को पोर्टल पर पुनः जांच की जाएगी।
- (iii) अंतर होने के मामले में उत्पादक के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी बाध्यता की पूर्ति के लिए निम्नतर अंक पर विचार किया जायेगा।
- (iv) प्रमाण पत्र केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य एजेंसियों द्वारा पर्यावरण लेखापरीक्षा के अधीन होंगे।

4. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र का सृजन. -

- (1) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस संबंध में अपने द्वारा निर्धारित प्रारूप में पंजीकृत पुनः चक्रणकर्ता के पक्ष में पोर्टल के माध्यम से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र सृजित करेगा

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी प्रमाणपत्र का सृजन करने के लिए पात्र मात्रा के निम्नानुसार सारणी की संगणना की जाएगी अर्थात्:

क्र.सं.	रीसाइक्लिंग का अंतिम उत्पाद	अंतिम उत्पाद की मात्रा (Q_p)	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित रूपांतरण कारक (C_F)	अंतिम उत्पाद को आवंटित अधिमान (W_p)	विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र के सृजन हेतु पात्र मात्रा ($Q_{EPR} = Q_p \times C_F \times W_p$)
1.	पुनः परिष्कृत बेस तेल या लुब्रिकेशन तेल का उत्पादन करना		रिसाइकिलर्स द्वारा उपयोग की गई तकनीकों के आधार पर रूपांतरण कारक तय किया जाएगा।	1.0	
2.	प्रयुक्त तेल के लिए सह-प्रसंस्करण/उपयोग/ऊर्जा वसूली रीसाइक्लिंग के लिए उपयुक्त नहीं है, अधिकतम अनुमेय प्रतिशत सीपीसीबी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।			0.25	

(2) विचारार्थ विषय - उप-पैराग्राफ (1) में निर्दिष्ट तालिका के प्रयोजन के लिए,

- (i) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र के सृजन के लिए पात्र मात्रा की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणना की जाएगी अर्थात्:

$$Q_{EPR} = Q_p \times C_F \times W_p;$$

* Q_{EPR} प्रमाण पत्र के सृजन के लिए पात्र मात्रा है, Q_p अंतिम उत्पाद की मात्रा है और C_F रूपांतरण कारक है (आउटपुट की एक इकाई के उत्पादन के लिए आवश्यक इनपुट की मात्रा) और W_p विशेष अंतिम उत्पाद के लिए अधिमान है

उदाहरण: यदि एक रिसाइकलर अंततः 100 टन पुनः परिष्कृत (रि-रिफाईंड) तेल का उत्पादन करता है, और रूपांतरण कारक 1.5 है, तो उस वर्ष में उस रिसाइकलर के लिए योग्य EPR (ईपीआर) प्रमाणपत्र निम्नानुसार होगा:

$$Q_{EPR} = 100 \times 1.5 \times 1 (\text{अधिमान}) = 150.0 \text{ टन}$$

- (ii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रत्येक अंत उत्पाद संपरिवर्तन कारक C_F निर्धारित किया जाएगा;
- (iii) अधिमान W_P तकनीकी प्रगति, उपलब्धता सामग्री का और अन्य कारकों के मद्देनजर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाएगी;
- (3) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र की वैधता उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष होगी जिसमें वह सृजित हुआ था और समाप्त प्रमाण पत्र स्वतः समाप्त हो जाएगा जब तक पैरा 7 के उप-अनुच्छेद (2) के अनुसार अवधि पहले समाप्त न हो जाए।
- (4) प्रत्येक विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र में एक अद्वितीय संख्या होगी जिसमें उत्पादन का वर्ष, अंतिम उत्पाद का कोड, पुनर्चक्रकर्ता कोड और एक अद्वितीय कोड शामिल होगा और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र 100, 200, 500, 1000 और 10,000 किलोग्राम के मूल्यवर्ग में होंगे या जैसा पैरा 18 के तहत गठित संचालन समिति के अनुमोदन से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए।

5. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्रों का संव्यवहार. -

- (1) एक उत्पादक अपनी वर्तमान वर्ष (वर्ष Y) की विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व देयता के साथ-साथ पिछले वर्ष की शेष देयता तथा वर्तमान वर्ष की देयता के 10 प्रतिशत की सीमा तक विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र खरीद सकता है।
- (2) उत्पादकों और प्रयुक्त तेल आयातकों द्वारा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यता को तिमाही आधार पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों को उचित अनुपात में खरीद कर पूरा किया जाना होगा।
- (3) जैसे ही उत्पादक और प्रयुक्त तेल के आयातक विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र खरीदता है, यह स्वतः ही उसकी देयता के विरुद्ध समायोजित हो जाएगा। पूर्व देयता को प्राथमिकता दी जाएगी और इस प्रकार समायोजित किया गया विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र स्वयं समाप्त और रद्द हो जाएगा।
- (4) प्रत्येक उत्पादक या प्रयुक्त तेल के आयातक या पुनर्चक्रणकर्ता के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र की उपलब्धता, आवश्यकता और अन्य ब्यौरे पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- (5) उत्पादकों या प्रयुक्त तेल के आयातकों या पुनर्चक्रणकर्ताओं द्वारा इस अनुसूची के तहत सभी लेने-देन का रिकार्ड रखा जाएगा और इसे पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

6. पंजीकरण, वार्षिक विवरण एवं रिटर्न दर्ज करने, ईपीआर प्रमाणपत्र और सामग्री का पता लगाने के लिए पोर्टल. -

- (1) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पंजीकरण के साथ-साथ तिमाही और वार्षिक रिटर्न को दर्ज करने, ईपीआर प्रमाणपत्र और हितधारकों द्वारा उत्पादित या उत्पन्न तेल का पता लगाने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली स्थापित करेगा। ऐसी प्रणाली एक ऐसे तंत्र को सुनिश्चित करेगी जिसमें किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादकों द्वारा बाजार में लाए गए ल्यूब्रिकेशन ऑयल का पदार्थ संतुलन परिलक्षित होता हो;
- (2) यह वेब-पोर्टल प्रयुक्त तेल के लिए ईपीआर के कार्यान्वयन से संबंधित विनियमों और दिशा-निर्देशों के संबंध में एकल बिंदु आंकड़ा भंडार के रूप में कार्य करेगा।
- (3) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस अनुसूची को अधिसूचित करने की तारीख से छह महीने के भीतर इस ऑनलाइन वेब-पोर्टल को संचालित किया जाएगा और ईपीआर के कार्यान्वयन से संबंधित सभी कार्यक्रमलाप ऑनलाइन तरीके से किए जाएंगे।

7. उत्पादकों की जिम्मेदारी. - वेस ऑयल या ल्यूब्रिकेशन ऑयल के उत्पादक निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होंगे -

- (1) पोर्टल पर पंजीकरण।
- (2) इस अनुसूची के पैरा 3 के उप-पैरा (2) के अनुसार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के लक्ष्यों को पूरा करना।
- (3) प्रयुक्त तेल के संग्रह और परिवहन के लिए, उत्पादक और अन्य संस्थाएं दो या दो से अधिक उत्पादकों द्वारा एकीकृत प्रयुक्त तेल प्रबंधन प्रणालियों के सृजन सहित अपनी सुविधानुसार समुचित व्यवस्था कर सकती हैं।
- (4) अपनी वेबसाइट के माध्यम से या प्रलेखन के माध्यम से उपभोक्ता (ओं) को संपर्क विवरण जैसे कि पता,

ई-मेल पता, टोल-फ्री टेलीफोन नंबर या हेल्पलाइन नंबर प्रदान करना ताकि प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सके।

- (5) किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित वार्षिक रिटर्न उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 30 जून को या उससे पहले पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र में दर्ज करना।
- (6) मीडिया, प्रकाशनों, विज्ञापनों, पोस्टरों या संचार के किसी अन्य माध्यम से जागरूकता सृजित करना।

8. प्रयुक्त तेल के आयातक का उत्तरदायित्व. - प्रयुक्त तेल के आयातक निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होंगे-

- (1) पोर्टल पर पंजीकरण।
- (2) पोर्टल के माध्यम से इस अनुसूची के पैरा 3 के उप-पैरा (2) के अनुसार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के लक्ष्यों को पूरा करना।
- (3) किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित वार्षिक रिटर्न उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 30 जून को या उससे पहले पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र में दर्ज करना।

9. संग्रह अभिकर्ता का उत्तरदायित्व. - सभी संग्रह अभिकर्ता को -

- (1) पोर्टल पर पंजीकरण करना है।
- (2) उत्पादकों से प्रयुक्त तेल का संग्रह करके पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ता या उत्पादक को आपूर्ति करना एवं पोर्टल पर जानकारी अपलोड करनी है।
- (3) किसी तिमाही से संबंधित रिटर्न को उसके बाद के महीने के अंत में या उससे पहले पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र में दर्ज करना है।
- (4) किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित वार्षिक रिटर्न उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 30 जून को या उससे पहले पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र में दर्ज करना है।

10. पुनर्चक्रणकर्ता के उत्तरदायित्व. - सभी पुनर्चक्रणकर्ताओं को -

- (1) पोर्टल पर पंजीकरण करना है;
- (2) यह सुनिश्चित करना है कि सुविधाएं तथा पुनः चक्रीकरण प्रक्रियाएं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित एसओपी या मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार हैं;
- (3) यह सुनिश्चित करना है कि प्रयुक्त तेल के भंडारण, परिवहन और पुनः चक्रीकरण के दौरान पर्यावरण को कोई हानि न पहुंचे;
- (4) यह सुनिश्चित करना है कि पुनः चक्रीकरण की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न अवशिष्ट का 'खतरनाक और अन्य अपशिष्ट' (प्रबंधन और सीमापार संचालन) नियम, 2016 के अनुसार ही निपटान किया जाता है;
- (5) किसी तिमाही से संबंधित रिटर्न को उसके बाद के महीने के अंत में या उससे पहले पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र में दर्ज करना है।
- (6) किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित वार्षिक रिटर्न उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 30 जून को या उससे पहले पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र में दर्ज करना है।

11. बड़े उत्पादक के उत्तरदायित्व. -

- (1) थोक उत्पादक, संग्रह अभिकर्ता की सुविधा के लिए अपने परिसरों से प्रयुक्त तेल के संग्रहण और परिवहन हेतु संग्रह स्थल स्थापित करेंगे;
- (2) यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा उत्पन्न प्रयुक्त तेल को केवल पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं या उत्पादकों या संग्रह अभिकर्ता को ही सौंपा जाए;

12. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उत्तरदायित्व. -

- (1) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व पोर्टल का संचालन और रखरखाव और ईपीआर अनुपालन की निगरानी;
- (2) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) के साथ समन्वय;
- (3) समय-समय पर इस अनुसूची के तहत प्रयुक्त तेल के संग्रह, भंडारण, परिवहन, पुनः चक्रीकरण और निपटान के लिए दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करना और जारी करना;
- (4) इस अनुसूची के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रपत्र या रिटर्न या दिशानिर्देश या मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करना और जारी करना;
- (5) नियमों के तहत ईपीआर के अनुपालन का पता लगाने के लिए यादृच्छिक जांच करना और इसके लिए सीमा शुल्क/राज्य सरकार या किसी अन्य एजेंसी/एजेंसियों की मदद ले सकता है;

- (6) प्रयुक्त तेल पर डेटा का प्रलेखन, संकलन और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइटों पर अपलोड करना;
- (7) इन नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई;
- (8) एसपीसीबी और शहरी स्थानीय निकाय अधिकारियों सहित क्षमता निर्माण के विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना;
- (9) जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना;
- (10) सभी हितधारकों को केंद्रीकृत डिजिटल प्रणाली से जोड़ना;
- (11) मंत्रालय को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
- (12) इस अनुसूची के तहत मंत्रालय द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

13. राज्य सरकारों या संघ राज्य-क्षेत्रों/ नगर पालिकाओं / स्थानीय निकायों / राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उत्तरदायित्व. -

- (1) राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र में उद्योग विभाग या राज्य सरकार या संघ राज्य-क्षेत्र द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य सरकारी एजेंसी, जैसा भी मामला हो, मौजूदा और निर्माणाधीन औद्योगिक पार्कों, औद्योगिक क्षेत्रों और औद्योगिक समूहों में प्रयुक्त तेल के संग्रह और पुनः परिष्कृत इकाइयों के लिए औद्योगिक स्थान या शेड का निर्धारण या आवंटन सुनिश्चित करेगा।
- (2) राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र में श्रम विभाग या राज्य सरकार या संघ राज्य-क्षेत्र द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य सरकारी एजेंसी, जैसा भी मामला हो, -
 - (क) पुनः परिष्कृत और पुनः चक्रीकरण में शामिल श्रमिकों की पहचान और पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे;
 - (ख) प्रयुक्त तेल के पुनः चक्रीकरण में शामिल श्रमिकों के लिए औद्योगिक कौशल विकास गतिविधियों का संचालन करेंगे;
 - (ग) प्रयुक्त तेल के पुनः चक्रीकरण में शामिल श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक निगरानी करेंगे
- (3) नगरपालिकाएं और स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में प्रयुक्त तेल के संग्रह के लिए बड़ी संख्या में संग्रह स्थल स्थापित करने के लिए उत्पादकों और बड़े उत्पादक या संग्रह अभिकर्ता को सहायता प्रदान करेंगे। इस प्रकार संग्रहीत किए गए प्रयुक्त तेल को अधिकृत पुनर्चक्रकों को नीलाम किया जा सकता है या बेचा जा सकता है।
- (4) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य-क्षेत्रों की प्रदूषण नियंत्रण समितियां, -
 - (i) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समन्वय से इस अनुसूची का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे;
 - (ii) संग्रह अभिकर्ता द्वारा संग्रह अभिकर्ता स्थापित करने में सुविधा प्रदान करेंगे;
 - (iii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्देशित किए अनुसार, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व की निगरानी और अनुपालन करेंगे;
 - (iv) पुनर्चक्रणकर्ताओं का औचक निरीक्षण करेंगे;
 - (v) इस अनुसूची के तहत मंत्रालय/केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

14. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के उत्तरदायित्व. - बीआईएस इन नियमों की अधिसूचना की तिथि से 6 महीने के भीतर ल्यूब्रिक तेल के उत्पादकों के लिए बेस ऑयल के रूप में इस्तेमाल किए जा सकने वाले पुनः परिष्कृत तेल हेतु आवश्यक मानक जारी करेगा।

15. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति. -

- (1) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यहाँ जारी इन नियमों और दिशानिर्देशों के किसी भी उपबंध के उल्लंघन के मामले में किसी भी इकाई पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के आरोपण और संग्रह करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करेगा और उक्त दिशानिर्देश इन नियमों के अनुसार होंगे और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होंगे।
- (2) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस अनुसूची के किसी भी प्रावधान और इसके तहत जारी किए गए दिशानिर्देशों के उल्लंघन के मामले में किसी भी इकाई पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने और इसके संग्रह के संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित करेगा तथा उक्त दिशानिर्देश इन अनुसूची के अनुसार होंगे एवं इन्हें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

- (3) गलत विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी प्रमाणपत्र जारी करने और गलत जानकारी देने के लिए पुनर्चक्रणकर्ताओं से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी वसूली जाएगी।
- (4) यह किसी अपंजीकृत उत्पादकों, पुनर्चक्रणकर्ताओं और किसी भी ऐसी संस्था से वसूली जाएगी जो इन नियमों के उल्लंघन में सहायता करते हैं इसके लिए प्रेरित करते हैं।
- (5) (i) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान इन नियमों में विनिर्दिष्ट विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व से उत्पादक को मुक्त नहीं करेगा और किसी विशेष वर्ष के लिए अपूर्ण विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को अगले वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा और इसी प्रकार इसे तीन वर्ष तक आगे बढ़ाया जाएगा;
(ii) यदि एक वर्ष के बाद विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यता की कमी को संबोधित किया जाता है, तो वसूली गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का 85 प्रतिशत उत्पादक को वापस कर दिया जाएगा;
(iii) यदि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यता की कमी को दो वर्षों के बाद संबोधित किया जाता है, तो वसूली गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का 60 प्रतिशत उत्पादक को वापस कर दिया जाएगा, यदि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यता की कमी को तीन वर्षों के बाद संबोधित किया जाता है, तो वसूली गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का 30 प्रतिशत उत्पादक को वापस कर दिया जाएगा, इसके बाद उत्पादक को कोई भी क्षतिपूर्ति वापस नहीं की जाएगी।
- (6) ऐसी गलत सूचना, जिसके परिणामस्वरूप पुनर्चक्रणकर्ता द्वारा वास्तविक रूप से पुनर्चक्रित अपशिष्ट की मात्रा से 5 प्रतिशत से अधिक विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्रों का सृजन होता है, देने के फलस्वरूप पंजीकरण रद्द हो जाएगा और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई जाएगी, जो वापसी योग्य नहीं होगी और इस अपराध को दोहराने पर इस अनुसूची का तीन बार या उससे अधिक उल्लंघन करने के परिणामस्वरूप पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभारों को लगाने के अलावा पंजीकरण भी स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा।
- (7) (i) पर्यावरण क्षतिपूर्ति के अधीन एकत्र की गई निधि को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक अलग एस्क्रो खाते में रखा जाएगा। एकत्र की गई निधि का उपयोग पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूले गए प्रयुक्त तेल के एकत्रण और पुनः चक्रीकरण अथवा गैर-एकत्रित और गैर-पुनर्चक्रित प्रयुक्त तेल के अंतिम निपटान अथवा अनंतिम निपटान के लिए तथा समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अन्य शीर्षों पर किया जाएगा।
(ii) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुमोदन के साथ संचालन समिति द्वारा धन के उपयोग के लिए निश्चय मात्रा और प्रमुखों पर निर्णय लिया जाएगा।

16. अभियोजन. – कोई भी व्यक्ति, जो विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इन नियमों के अधीन अपेक्षित गलत जानकारी प्रदान करता है, किसी भी तरीके से झूठे या जालीबिस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों का उपयोग करता है या जानबूझकर इन नियमों के अधीन दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करता है या सत्यापन और लेखा परीक्षा कार्यवाही में सहयोग करने में विफल रहता है, उस पर अधिनियम, 1986 की धारा 15 के अधीन अभियोजित किया जाएगा। यह अभियोजन इस अनुसूची पैरा 15 के तहत वसूली गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त होगा।

17. सत्यापन एवं लेखा परीक्षा. – केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्वयं अथवा किसी नामोदृष्ट एजेंसी के माध्यम से निरीक्षण तथा आवधिक लेखा परीक्षा, जैसाकि उचित समझा गया है, के माध्यम से उत्पादकों, थोक उत्पादकों, एकत्रण एजेंटों और पुनर्चक्रणकर्ताओं द्वारा इन नियमों के अनुपालन का सत्यापन करेगा ताकि इस अनुसूची के पैरा 15 के प्रावधानों के उल्लंघनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके।

18. संचालन समिति. –

- (1) प्रयुक्त तेल/अथवा उपयोग अवधि समाप्त हो चुके ल्यूब तेल हेतु विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व व्यवस्था के समग्र कार्यान्वयन का अधीक्षण करने के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता में एक संचालन समिति (एससी) होगी। अध्यक्ष के अतिरिक्त इस संचालन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-
(i) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि;
(ii) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का एक प्रतिनिधि;
(iii) बेस ऑयल या ल्यूब्रीकेशन ऑयल उत्पादकों का एक प्रतिनिधि;
(iv) ऑटो मोबाइल विनिर्माण संघों का एक प्रतिनिधि।

- (v) पुनर्चक्रणकर्ता संघों का एक प्रतिनिधि;
- (vi) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति का एक प्रतिनिधि जैसाकि के संचालन समिति के अध्यक्ष द्वारा सहयोजित किया जाए;
- (vii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सदस्य सचिव
- (viii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संबंधित प्रभाग का अध्यक्ष – सदस्य संयोजक
- (2) संचालन समिति आवश्यकता के अनुसार किसी अन्य सदस्य को सहयोजित कर सकती है।
- (3) संचालन समिति इस अनुसूची के समग्र कार्यान्वयन, निगरानी और अधीक्षण के लिए उत्तरदायी होगी और इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर समय-समय पर उठने वाले विवादों के संबंध में निर्णय भी करेगी, और उठाए गए किसी ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय संदर्भित करेगी जो इस अनुसूची से संबंधित हों।
- (4) विषय निर्वाचन समिति केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से प्रौद्योगिकि उन्नति और अन्य कारकों को ध्यान में रखते पुनर्चक्रण के तरीकों के लक्ष्य, महत्व और अनुमेयता का पुनर्विलोकन और संशोधन करेगी।
- (5) संचालन समिति इस अनुसूची के प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन के लिए उसके द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले सभी उपाय करेगी।

19. कठिनाइयों को दूर करना. - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस अनुसूची के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए किसी भी प्रकार के उपाय करने की शक्तियां होंगी।

[फा. सं. 23/75/2021-एचएसएमडी]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

नोट : मूल नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 395(अ) तारीख 04 अप्रैल, 2016 को प्रकाशित किया गया था और इसके बाद सा.का.नि. संख्या 670(अ) तारीख 06 जुलाई, 2016; सा.का.नि. संख्या 177(अ) तारीख 28 फरवरी, 2017; सा.का.नि. संख्या 544(अ) तारीख 11 जून, 2018; सा.का.नि. संख्या 178(अ) तारीख 01 मार्च, 2019; सा.का.नि. संख्या 641(अ) तारीख 09 अक्टूबर, 2020; सा.का.नि. संख्या 47(अ) तारीख 27 जनवरी, 2021; सा.का.नि. संख्या 798(अ) तारीख 12 नवम्बर, 2021; सा.का.नि. संख्या 593(अ) तारीख 21 जुलाई, 2022 और सा.का.नि. संख्या 900(अ) तारीख 23 दिसम्बर, 2022 के द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2023

G.S.R. 338(E).—The following draft notification which the Central Government proposes to issue, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), for bringing out regulations for extended producer responsibility (EPR) for Used Oil is hereby published as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for information of the public and other stakeholders likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said notification will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of sixty days from the date on which copies of this notification as published in the 'Gazette of India' are made available to the public;

Any person interested in making any objection or suggestion on the proposals contained in the draft notification may do so in writing within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi - 110003 or electronically at email address: mishra.vp@gov.in or vinodsingh.77@gov.in.

Draft Notification

Whereas, in a rapidly changing world, the utmost concern today is pollution and scarcity of resources. One litre of used oil can contaminate one million litres of fresh water - a year's supply for 50 people, as it contains toxic substances such as benzene, lead, zinc, and cadmium, in addition to impurities such as dirt, metal parts and water.

And whereas, globally, the massive consumption of oil after extraction from the earth, processing, manufacturing, transportation and disposal contributes substantially to release of greenhouse gases into the atmosphere thereby increasing pollution.

And whereas, to mitigate this concern, concept of Circular Economy in used oil has gained momentum in past two decades, wherein we not only use the re-refined oil, obtained from used oil for manufacture of lubricants, but also conserve the precious petroleum reserves for safer and healthier tomorrow.

And whereas, recycling has potential to reduce the rate of global climate change by reducing the extraction and the amount of fossil fuels burnt in the manufacturing processes. This helps in lowering carbon footprints in the ecosystem.

And whereas, re-refining of used lubricants could result in both environmental and economic benefits. Re-refining of used oil to manufacture base oil conserves more energy than reprocessing the used oil for use as fuel. The energy required to manufacture re-refined base oil from used oil is only one-third of the energy required to refine crude oil to produce virgin base oil. Therefore, re-refining is considered by many as a preferred option in terms of conserving resources as well as minimizing waste and reducing damage to the environment.

Now therefore, in exercise of powers conferred under sub rule (3) of the rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, hereby notifies the extended producer responsibility for Used Oil under the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, as amended from time to time, namely:

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Amendment Rules, 2023.
- (2) They shall come into force from the 1st Day of April, 2024.
2. In the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 9, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely: -
- “(5) The utilization and management of used oil shall be in accordance to the provisions contained in Schedule X”.
3. In the said rules, after Schedule IX, the following Schedule shall be inserted, namely: -

‘SCHEDULE X

[See rule 9 (5)]

Extended Producer Responsibility (EPR) for Used Oil

1. **Definitions. – For the purposes of this Schedule, -**

- (a) ‘**Act**’ means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);
- (b) ‘**base oil**’ means oil used for production of finished lubrication oil;
- (c) ‘**bulk generator**’ means any entity like automobile industry, railways, defence establishments, transport companies, industrial units, power transmission companies etc which are generating more than 100 Metric Tonnes per annum of used oil;
- (d) ‘**business**’ means any activity of production or manufacturing or sale of base oil or lubrication oil, import of base oil, recycling used oil;
- (e) ‘**collection points**’ means the areas and the facilities where the authorized collection agent would collect the used oil;
- (f) ‘**collection agent**’ means any person or entity who has registered on the portal and collects used oil and supplies it to the registered recycler;
- (g) ‘**environmentally sound management of Used oil**’ means taking all steps required to ensure that used oil is managed in a manner so as to protect health and environment against any adverse effects which may result during collection, transportation and recycling of used oil following the prescribed guidelines;
- (h) ‘**extended producer responsibility**’ means responsibility of any producer of base oil or lubrication oil or importer of used oil in accordance with the provisions of sub-paragraph (2) of paragraph 3. of this Schedule for meeting recycling targets only through registered recyclers to ensure environmentally sound management of used oil;
- (i) ‘**guidelines**’ means a document prepared by Central Pollution Control Board elaborating minimum requirement for achieving environmentally sound management of used oil including handling, collection, transportation, storage and recycling of used oil;
- (j) ‘**portal**’ means the online system developed by the Central Pollution Control Board for implementation of this schedule;
- (k) ‘**producer**’ means any person or entity who, -

- i. manufactures and offers to sell base oil or lubrication oil domestically under its own brand; or
- ii. offers to sell lubrication oil domestically under its own brand, using the base oil manufactured by other manufacturers or suppliers; or
- iii. offers to sell imported base oil or lubrication oil domestically; or

irrespective of the selling technique used such as dealer, retailer, e-retailer, etc.;

(l) **‘recycling’** means any process of re-refining of used oil to produce base oil or lubrication oil in an environmentally sound manner and having facilities as elaborated in the standard operating procedure (SOP) or guidelines specified by the Central Pollution Control Board.

(m) **‘re-refining’** means any process of removing undesirable impurities from used oil and making the end product base oil or lubrication oil.

(n) **‘recycler’** means any person or entity engaged in the process of recycling of used oil;

(o) **‘recycling target’** means the quantity of used oil to be recycled as per the provisions of sub-paragraph (2) of paragraph 3 of this Schedule;

(p) **‘standard operating procedure’** means the document specified by the Central Pollution Control Board elaborating minimum requirement of equipment and processes;

(q) **‘used oil’** means any oil as defined under sub-rule (36) of Rule 3 of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016;

(r) **‘used oil importers’** means any person or entity who imports used oil.

2. Registration. - (1) The following entities shall register on the portal.

- (a) Producers
- (b) Collection agents
- (c) Recyclers
- (d) Used Oil importers

(2) In case any entity falls in more than one categories under sub-paragraph (1), then the said entity shall register under those categories separately.

(3) No entity referred in sub-paragraph (1) above shall carry out business without registration.

(4) The entities registered under sub-paragraph (1) shall not deal with any entity not registered on the portal.

(5) Where any registered entity furnishes false information or willfully conceals information for getting registration or return or report or information required to be provided or furnished under this schedule or in case of any irregularity, the registration of such entity may be revoked by the Central Pollution Control Board for a period up to five-years after giving an opportunity to be heard and in addition, environmental compensation charges may also be levied as per paragraph 15 in such cases.

(6) The Central Pollution Control Board may charge such registration fees and annual maintenance charges from the entities seeking registration under this schedule based on volume of used oil generated or recycled or handled by them as laid down by them.

3. Modalities of extended producer responsibility regime. -

(1) The EPR regulation covers the following modes for managing the used oil in order of priority:

- (i) Producing re-refined base oil or lubrication oil
- (ii) Energy Recovery

(2) EPR Targets: -

(I) All producers and used oil importers shall fulfill their extended producer responsibility obligations as under:

(a) For producers of base oil or lubrication oil

Sl. No.	Year	Used oil Recycling Target
(i)	EPR obligation of the Year 2024-25 (The year in which these rules comes into force)	10% of the base oil or lubrication oil sold or imported in the Year 2022-23.

(ii)	EPR obligation of the Year 2025-26.	20% of the base oil or lubrication oil sold or imported in the year 2023-24.
(iii)	EPR obligation of the Year 2026-27.	30% of the base oil or lubrication oil sold or imported in the year 2024-25.
(iv)	EPR obligation of the Year 2027-28.	40% of the base oil or lubrication oil sold or imported in the year 2025-26.
(v)	EPR obligation of the Year 2028-29.	50% of the base oil or lubrication oil sold or imported in the year 2026-27.
(vi)	EPR of collection and recycling target for the year 2029-30 (Y) onwards will be 60% of the base oil or lubrication oil sold or imported in the year (Y-2)	
(vii)	For units established after 1 st April, 2024, the extended producer responsibility obligation will start after two years from the end of the financial year in which the unit was established and will be as per the target prescribed above.	

(b) For used oil importers

- (i) The extended producer responsibility obligation for used oil importers in year (Y) shall be 100% of the used oil imported in year (Y-1)
- (ii) The import of used oil is permitted for the purpose of re-refining only.
- (II) The extended producer responsibility target of the producers would be reduced by a factor laid down by Central Pollution Control Board on account of operational loss of base oil.
- (III) (i) The Producers shall fulfil their extended producer responsibility through online purchase of extended producer responsibility certificates from registered recyclers only.
- (ii) The details provided by producers and registered recyclers shall be cross-checked on the portal.
- (iii) In case of any difference, the lower figure shall be considered towards fulfilment of the extended producer responsibility obligation of the producer.
- (iv) The certificates shall be subject to environmental audit by the Central Pollution Control Board or any other agencies authorized by them in this regard.

4. Extended producer responsibility certificate generation. -

- (1) The Central Pollution Control Board shall generate extended producer responsibility certificate through the portal in favor of a registered recycler in the format laid down by it in this regard.

The quantity eligible for generating extended producer responsibility Certificates shall be calculated as under:

Sl. No.	End Product of recycling	Quantity of End Product (Q_p)	Conversion factor determined by Central Pollution Control Board (C_F)	Weightage allocated to the end product (W_p)	Quantity eligible for generation of extended producer responsibility certificate ($Q_{EPR} = Q_p \times C_F \times W_p$)
1.	Producing re-refined base oil or lubrication oil		Based on the technologies used by recyclers, conversion factor will be decided.	1.0	

2.	Co-processing/ utilization/ energy recovery for used oil not suitable for recycling, maximum permissible percentage to be prescribed by CPCB.			0.25	
----	---	--	--	------	--

(2) **Term of Reference. - For the purpose of the Table referred to in sub-paragraph (1),**

- (i) the quantity eligible for generation of extended producer responsibility certificate shall be calculated as per the following formula, namely: -

$$Q_{EPR} = Q_p \times C_F \times W_p ;$$

**the Q_{EPR} is the quantity eligible for generation of the certificate, Q_p is the quantity of the end product and C_f is the conversion factor (quantity of inputs required for production of one unit of output) and W_p is the weightage for particular end product*

Example: If a recycler finally produces 100 Tonnes of re-refined oil, and conversion factor is 1.5 then, the eligible EPR certificate for that recycler in that year shall be as follows:

$$Q_{EPR} = 100 \times 1.5 \times 1 \text{ (weightage)} = 150.0 \text{ Tonnes}$$

- (ii) Conversion factor C_F for each end product shall be determined by the Central Pollution Control Board;
- (iii) The weightage W_p shall be reviewed by the Central Pollution Control Board from time to time in view of the technological advancements, availability of material and other factors;
- (3) The validity of the extended producer responsibility certificate shall be two years from the end of the financial year in which it was generated and the expired certificate will automatically extinguish after the period unless extinguished earlier as per sub-paragraph (2) of paragraph 7.
- (4) Each extended producer responsibility certificate shall have a unique number containing year of generation, code of end product, recycler code and a unique code and the extended producer responsibility certificates shall be in the denominations of 100, 200, 500, 1000 and 10,000 kilograms or as may be laid down by the Central Pollution Control Board with the approval of the Steering Committee constituted under paragraph 18.

5. Transaction of extended producer responsibility certificate. -

- (1) A producer may purchase extended producer responsibility certificates limited to its extended producer responsibility liability of current year (Year Y) plus any leftover liability of preceding years plus 10% of the current year liability.
- (2) The extended producer responsibility obligation shall have to be fulfilled by the producers and used oil importers by proportionately purchasing extended producer responsibility certificates on a quarterly basis.
- (3) As soon as the producer and used oil importer purchases the extended producer responsibility certificate, it will be automatically adjusted against his liability, priority in adjustment shall be given to earlier liability and the extended producer responsibility certificate so adjusted shall be automatically extinguished and cancelled.
- (4) The availability, requirement and other details of the extended producer responsibility certificate for every producer or used oil importer or recycler shall be made available on the portal.
- (5) All the transactions under this schedule shall be recorded and submitted by the producers or used oil importers or recyclers on the portal.

6. Portal for registration, filing of annual returns, EPR Certificate and tracing of Materials. -

- (1) Central Pollution Control Board shall establish an online system for the registration as well as for filing of quarterly and annual returns, EPR certificate and tracing of oil produced or generated by the stake holders. Such a system shall ensure a mechanism wherein the material balance of the lubrication oil introduced in the market by Producers in a financial year is reflected;
- (2) The web portal would act as the single point data repository with respect to regulations and guidelines related to implementation of EPR for used oil
- (3) The online web portal shall be operationalized by Central Pollution Control Board within

six months from the date of notification of this schedule and all activities related to the implementation of the EPR will be done in online manner.

7. Responsibility of Producers. - The producers of base oil or lubrication oil shall be responsible for -

- (1) Registration on the portal.
- (2) Fulfilling extended producer responsibility targets as per sub-paragraph (2) of paragraph 3 of this schedule.
- (3) For collection and transport of used oil, producers and other entities may make suitable arrangements as convenient to them including the formation of integrated used oil management systems by two or more producers.
- (4) Provide the contact details such as address, email address, toll free telephone numbers or helpline numbers to consumers(s) through their website or through advertisements or documentation so as to facilitate the process.
- (5) Filing annual returns in the laid down form on the portal on or before 30th June following the financial year to which that return relates.
- (6) Creating awareness through media, publications, advertisements, posters, or by any other means of communication.

8. Responsibility of Used Oil importer. - The Used Oil importers shall be responsible for-

- (1) Registration on the portal.
- (2) Fulfilling extended producer responsibility targets as per sub-paragraph (2) of paragraph 3 of this schedule through the portal.
- (3) Filing annual returns in the laid down form on the portal on or before 30th June following the financial year to which that return relates.

9. Responsibility of Collection agent. - All collection agent shall have to, -

- (1) Register on the portal.
- (2) Collect used oil from the generators and supply to the registered recycler or producer and upload information on the portal.
- (3) Filing quarterly returns in the laid down form on the portal on or before the end of the month succeeding the quarter to which the returns relate.
- (4) Filing annual returns in the laid down form on the portal on or before 30th June following the financial year to which that return relates.

10. Responsibilities of the recycler. - All recycler shall have to, -

- (1) Register on the portal;
- (2) Ensure that the facility and recycling processes are in accordance with the SOP or guidelines prescribed by the Central Pollution Control Board from time to time;
- (3) Ensure that no damage is caused to the environment during storage, transportation and recycling of used oil;
- (4) Ensure that the residue generated during the recycling process is disposed of in accordance to the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules 2016;
- (5) Filing quarterly returns in the laid down form on the portal on or before the end of the month succeeding the quarter to which the returns relate.
- (6) Filing annual returns in the laid down form on the portal on or before 30th June following the financial year to which that return relates.

11. Responsibilities of the bulk generators. -

- (1) Bulk generators shall set up collection points to facilitate collection agents for collection and transportation of used oil from their premises;
- (2) Shall ensure that used oil generated by them be handed over only to the registered recyclers or producer or collection agents.

12. Responsibilities of the Central Pollution Control Board. -

- (1) Operation and maintenance of Extended Producer Responsibility Portal and monitoring of EPR compliance;
- (2) Coordination with State Pollution Control Boards (SPCB);
- (3) Prepare and issue Guidelines and Standard Operating Procedures for collection, storage, transportation,

recycling and disposal of used oil under this schedule from time to time;

- (4) Prepare and issue necessary Forms or Returns or Guidelines or Standard Operating Procedures for implementation of this schedule;
- (5) Conduct random checks for ascertaining compliance of the EPR under rules and may take help of Customs/State Govt or any other agency (ies);
- (6) Documentation, compilation of data on used oil and uploading on websites of Central Pollution Control Board;
- (7) Actions against violation of these rules;
- (8) Conducting training programmes to develop capacity building including SPCB and Urban Local Bodies officials;
- (9) Conducting awareness programmes;
- (10) Integrate all stakeholders with the centralized digital system;
- (11) Submit an Annual Report to the Ministry;
- (12) Any other function delegated by the Ministry under this schedule from time to time.

13. Responsibilities of the State Governments or Union territories /Municipalities/ Local Bodies/ State Pollution Control Board. -

- (1) The Department of Industry in the State and Union territory or any other government agency authorised in this regard by the State Government or the Union territory, as the case may be, shall ensure earmarking or allocation of industrial space or shed for collection of used oil and for re-refining units in the existing and upcoming industrial parks, estates and industrial clusters.
- (2) Department of Labour in the State and Union territory or any other government agency authorised in this regard by the State Government or the Union territory, as the case may be, shall, -
 - (a) ensure recognition and registration of workers involved in re refining and recycling;
 - (b) undertake industrial skill development activities for the workers involved in re-cycling of used oil
 - (c) undertake annual monitoring and to ensure safety & health of workers involved in re-cycling of used oil
- (3) Municipalities and Local Bodies shall facilitate Producers and Bulk generators or collection agents to set up large number of collection points for collection of used oils in their jurisdictional areas. The used oils so collected can be auctioned or sold to the authorised recyclers.
- (4) State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees of Union territories, shall, -
 - (i) ensure proper implementation of this schedule in coordination with Central Pollution Control Board;
 - (ii) facilitate the setting up collection points by the collection agents;
 - (iii) monitoring and compliance of Extended Producer Responsibility as directed by Central Pollution Control Board;
 - (iv) Conduct random inspection of recycler;
 - (v) Any other function delegated by the Ministry/ Central Pollution Control Board under this Schedule.

14. Responsibilities of the Bureau of Indian Standards (BIS). - BIS shall issue necessary standards for re-refined oil, which could be used as base oil for producers of lubrication oil within 6 months from the date of notification of these rules.

15. Environmental Compensation. -

- (1) Central Pollution Control Board shall lay down guidelines for imposition and collection of environmental compensation on the Producers in case of non-fulfilment of obligations set out in these rules and transaction or use of false extended producer responsibility Certificates and the said guidelines shall be in accordance with these schedule and will be approved by the the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
- (2) The Central Pollution Control Board shall lay down guidelines for imposition and collection of environmental compensation on any entity in case of violation of any of the provision of this schedule and guidelines issued hereunder and the said guidelines shall be in accordance with these schedule and will be approved by the the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

- (3) The Environmental Compensation shall also be levied on the recyclers for issue of false extended producer responsibility Certificates and providing false information.
- (4) It shall also be levied on unregistered producers, recyclers and any entity which aids or abets the violation of these rules.
- (5)
 - (i) Payment of environmental compensation shall not absolve the producer from the extended producer responsibility as specified in these rules and the unfulfilled extended producer responsibility for a particular year shall be carried forward to the next year and so on and up to three years;
 - (ii) In case, the shortfall of extended producer responsibility obligation is addressed after one year, 85 percent of the environmental compensation levied shall be returned to the producer;
 - (iii) In case, the shortfall of extended producer responsibility obligation is addressed after two year, 60 per cent of the environmental compensation levied shall be returned to the producer, and in case, the shortfall of extended producer responsibility obligation is addressed after three year, 30 percent of the environmental compensation levied shall be returned to the producer, thereafter no EC will be returned to the producer.
- (6) False information resulting in over generation of extended producer responsibility certificates by recycler above 5 percent of the actual recycled waste shall result in revocation of registration and imposition of EC which shall not be returnable and repeat offence, violation of this schedule for three times or more shall also result in permanent revocation of registration over and above the environmental compensation charges.
- (7)
 - (i) The funds collected under environmental compensation shall be kept in a separate Escrow account by Central Pollution Control Board and the funds collected shall be utilized in collection and recycling or end of life disposal of uncollected and non-recycled or non-end of life disposal of used oil on which the environmental compensation is levied, and on other heads as decided by the committee.
 - (ii) Modalities and head for utilization of the funds shall be decided by the Steering Committee with the approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

16. Prosecution. - Any person, who provides incorrect information required under these rules for obtaining extended producer responsibility certificates, uses or causes to be used false or forged extended producer responsibility certificates in any manner, wilfully violates the directions given under these rules or fails to cooperate in the verification and audit proceedings, may be prosecuted under section 15 of Environment Protection Act, 1986. This prosecution will be in addition to the EC levied under para 15 of this schedule.

17. Verification and Audit. - Central Pollution Control Board by itself or through a designated agency shall verify compliance of these rules by the producers, bulk generators, collection agents and recyclers through inspection and periodic audit, as deemed appropriate so as to take actions against violations of the provisions of para 15 of this schedule.

18. Steering Committee. -

- (1) There shall be a Steering Committee (SC) under the Chairmanship of Chairman, Central Pollution Control Board to oversee the overall implementation of EPR regime for used oil/ or end of life lube oil. The Steering Committee will comprise of following other members in addition to the chair, namely:-
 - (i) one representative of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change;
 - (ii) one representative of the Ministry of Petroleum and Natural Gas;
 - (iii) one representative of base oil or lubrication oil Producers;
 - (iv) one representative of Automobile Manufacturer Associations.
 - (v) one representative of Recycler Associations;
 - (vi) one representative of State Pollution Control Board or Pollution Control Committee as co-opted by the Chairman of the Steering Committee;
 - (vii) Member Secretary of Central Pollution Control Board.
 - (viii) Head of the Concerned Division of Central Pollution Control Board - Member Convener.
- (2) Steering Committee may co-opt any other member as per requirement.
- (3) The steering committee shall be responsible for overall implementation, monitoring and supervision of this schedule and it shall also decide upon the disputes arisen from time to time on the representations received in this regard, and shall refer to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change any substantial issue arisen or pertaining to this schedule.

- (4) The Steering Committee shall review and revise the targets, weightage and permissibility of modes of recycling in view of the technological advancements and other factors with the approval of the Central Government.
- (5) The Steering Committee shall take all such measures as it deems necessary for proper implementation of the provisions of this Schedule.

19. Removal of difficulties. - The Central Pollution Control Board shall have powers to take any measures for removal of difficulties in implementation of this schedule.

[F. No. 23/75/2021-HSMD]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 395(E), dated the 4th April, 2016 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 670(E), dated the 6th July, 2016; number G.S.R. 177(E), dated the 28th February, 2017; number G.S.R. 544(E), dated the 11th June, 2018; number G.S.R. 178(E), dated the 1st March, 2019; number G.S.R. 641(E), dated the 9th October, 2020 ; number G.S.R. 47(E), dated the 27th January, 2021; number G.S.R. 798(E), dated the 12th November, 2021; number G.S.R. 593(E), dated the 21st July, 2022 and number G.S.R. 900(E) dated the 23rd December, 2022.